2024/520

निर्णय
20.08.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

भादरराम बनाम साहबराम आदि

प्रकरण संख्या 370 वर्ष 2024

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31.07.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 12.08.2024 को पेश हो। [initials]	
12.08.2024	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण बा/ता पते हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 14.08.2024 को पेश हो। [initials]	भादरराम [thumb impression] धीयाराम [thumb impression]
14.08.2024	वकुलाए फरिकैन उपस्थित/PU मा... अब कार्य ... है। पत्रावली स्टेट जवाब प्राप्त ... गस्त बहस दिनांक 20.08.2024 ... पेश हो [signature]	[thumb impression]
20.08.2024	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद बाबत डिक्री किया जाता है। पृथक विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर [illegible] शामिल किया जावे। [illegible] जाकर बाद तरतीब तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [initials]	Karuli [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:39:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 370/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट
भादरराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1. साहब राम पुत्र हुकमाराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. धीराराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. रुकमा पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट साकिन सरदारपुरा खरता तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. शान्ति पत्नी रामलाल जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कृष्णकुमार वकील–वादी
श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांकः– 20.08.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हरदासवाली बारानी के खसरा स0 1032/223 की 3.3780 है0 315/2 की 2.0110 है0 319/1 की 3.289 है0 321/1 की 2.1120 है0 कुल 10.7900 है0 व रोही मौजा हरदासवाली के दुसरे खाता के खसरा न0 1164/334 की 0.253 है0 1165/334 की 2.227 है0 1169/335 की 1.151 है0 196/1 की 3.8460 है0 396/313 की 0.5820 है0 कुल 8.0590 है0 तहसील रावतसर की वादी व प्रतिवादी स0 2 के पास ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.08.2024 .को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:39:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner